पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थीगण उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 उ.प्र.जि.अ. के तहत आठ व्यक्ति आपत्ति नम्बर 146, 147, 148, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 164, 165, 259, 261, 262, 263, 264, 269 किता 18 रकबा 4.2 हेक्टेयर 19 डिसमिल आदि जो कि पुश्तैनी होने के प्रार्थीगण का 1/3 हक सिद्ध है के विपक्षीगण दखलअंदाजी नहीं करें, रोकथाम नहीं करें ~~दखलअंदाजी के दखल~~ नहीं करें। विपक्षीगण को आदेश निषेधाज्ञा के पारित कराया जाये।

विपक्षी सं. 15 ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर आपत्ति की है कि वर्तमान के हमारे नाम पर दर्ज है हमारे द्वारा पूरे खाते की भूमि का क्रय किया गया है हमारा ही कब्जा काश्त होकर हक मालिकाना की भूमि है। प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं है। प्रार्थीगण के मुकदमा हमारे पक्ष के है। प्रार्थना पत्र खारिज कराया जाये।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि जमाबन्दी गत वर्ष 2004 से 2015 के अन्तर्गत भूमि नामान्तरण सं. 413 दिनांक 10.8.05 से मूल खाता राजेन्द्र, किशोरचन्द्र पुत्रगण लेखराज के नाम title विपक्षी क्रमांक 15.16 का है। title विपक्षी का होने के कब्जा काश्त हक मालिकाना विपक्षी का होकर पुश्तैनी दखल, विपक्षीगण के पक्ष में है जिससे प्रार्थीगण की वर्तमान में कोई मौजूदगी भूमि पर नहीं है रही है।

अतः प्रार्थना पत्र 212 उ.प्र.जि.अ. खारिज किया जाता है।

पत्रावली नकल के कम होकर दस्तावेज के तौर दाखिल रखी जाकर डाला जाय।

उप खण्ड अधिकारी